कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक / 2096 / री.ए.डी.म. / 2021 इन्दौर, दिनांक 20–4–2021

// आदेश //

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

विषय– कारोना वायरस संकमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश

(दिनांक 20 अप्रैल 2021 से प्रभावशील)

वर्तमान में कोरोना संक्रमण की गति एवं पाजीटीवीटी रेट को देखते हुए पूर्व के आदेशों से कोरोना कफ्‌र्यु लगाया गया था। इस तारतम्य में कुछ गतितविधियों को प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया था, किन्तु देखने में यह आ रहा है कि इसका दुरूपयोग कर आम जनता अनावश्यक रूप से बाहर निकल रही है तथा कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रही है। दिनांक 30 अप्रैल 2021 तक जनता कफर्यु का आव्हान भी आमजन से किया गया है तथा यह भी अनुरोध किया गया है कि लोग 30 अप्रैल 2021 तक अपने घरों में ही रहें तथा बाहर न निकलें। पूर्व में कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधों से शिथिलता के दुरूपयोग को देखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा–144 के तहत् जारी किए जाते हैं, जिसका तत्काल प्रभाव से सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाना है, निम्नानुसार आदेश सम्पूर्ण इन्दौर जिले में प्रभावशील रहेगा–

1– यह कि पुलिस द्वारा इन्दौर शहर की सड़कों पर चेकिंग सख्ती से की जाय तथा अनावश्यक घुम रहे लोगों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत अस्थाई जेल भेजा जावे।

2– यह भी कि वर्तमान में स्थिति को देखते हुए सभी शासकीय / अर्द्ध–शासकीय कार्यालय जनता कफ्‌र्यु के चलते तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे तथा केवल अत्यावश्यक सेवाओं के कार्यालय ही खुले रहेंगे।

3– सभी प्रकार के चार्टड अकाउंटेंट एवं टैक्स कंसलटेंट के कार्यालय भी 30 अप्रैल तक जनता कफर्यु के चलते बंद किया जाना आदेशित किया जाता है।

4– सभी प्रकार की आई. टी. कंपनी के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम की तर्ज पर कार्य करेगी तथा बीपीओ / मोबाईल कंपनियों के भी सभी कार्यालय बंद रहेंगे तथा न्यूनतम 10 प्रतिशत कर्मचारियों से चल सकेंगे।

5– शहर के अंदर के सभी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है तथा सभी प्रकार के ऑटो, ई–रिक्शा, टैक्सी आदि सार्वजनिक परिवहन के साधन केवल इन्दौर जिले के समस्त नगरीय निकायों में दिनांक 30 अप्रैल 2021 तक बंद रहेंगे। इस प्रकार के सभी वाहनों को संचालन मरीजों को लाने ले जाने हेतु किया जा सकेगा, अन्य किसी कार्य हेतु नहीं होगा।

6– पूर्व के आदेशों में सड़क पर हाट–बाजार पर सख्ती से पाबंदी लगाई गई थी किन्तु इसका उल्लंघन कर कई जगहों पर सब्जी, हाट–बाजार लग रहे हैं, जो कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में बाधक हो रहे हैं। स्थानीय मजिस्ट्रेट/पुलिस/नगर निगम की टीम को निर्देशित किया जाता है कि सख्ती से इन हाट बाजारों को हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे तथा अगर इन लोगों के द्वारा विरोध किया जाता है, जैसा कि पूर्व में हुआ है तो गिरफ्तारी सुनिश्चित की जावे।

7– शोसल मीडिया पर अनर्गल रूप से कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के प्रयासों पर की गई टिप्पणी पर प्रतिबंध लगाया जाता है तथा अगर इस प्रकार की कोई पोस्ट सोशल मीडिया पर डालते हैं या आग्रेषित/आगे बढाते हैं तो The Epidemic Disease Act, 1897, National Disaster Management Act- 2005 एवं इस आदेश के उल्लंघन में कार्यवाही की जावेगी। अगर जनता को भड़काने के मैसेज किसी के द्वारा अग्रेषित किया जाता है तो पुलिस ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध करेगी। विभिन्न सोशल मीडिया ग्रुप के एडमीन से अनुरोध है कि गलत मैसेज चलाने वाले सदस्यों को तत्काल ग्रुप से बाहर करें।

8– चोईथराम फल–सब्जी मंडी के बाहर किसी भी स्थिति में हाट–बाजरा आदि न लगे इसके लिए पुलिस एवं नगर निगम सख्त कार्यवाही करेंगे क्योंकि इन स्थलों पर भी आमजनों के जाने से संक्रमण की चेन तोड़ने में समस्या हो रही है। आवश्यकता पड़ने पर विरोध करने वाले लोगों को दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 151 में गिरफ्तार कर जेल भेजा जाय।

9– सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाई जाती है तथा 30 तारीख तक सभी निर्माण गतिविधियॉ बंद रहेगी। इससे संबंधित कोई भी व्यक्ति सड़कों पर नहीं आ सकेंगे।

10– उद्योगों से संबंधित सभी कर्मचारी अपने उद्योग के प्रबंधन से आई–कार्ड लेकर जावेंगे तथा उद्योग संचालकों से भी अनुरोध किया जाता है कि वे भी न्यूनतम लोगों को बुलाकर अपना उत्पादन चालू रखेंगे। उद्योगों के सुपरवाईजरी संचालन में यथा–संभव 25 प्रतिशत या कम स्टाफ को बुलाकर करवाया जावे तथा उत्पादन कार्य में लगे लोगों को प्रत्येक उद्योग संचालक आई–कार्ड जारी करें ताकि पुलिस द्वारा इसकी पुष्टि की जा सकें।

11– केवल किराना, राशन–कंट्रोल दुकान, फल–सब्जी के चलित ढेले एवं फल–सब्जी की स्थाई दुकान दोपहर 12.00 बजे तक खुली रह सकेगी तथा दूध का वितरण प्रातः 6.00 से 10.00 बजे तक एवं 4.00 बजे से सांय 7.00 बजे तक हो सकेगा।

12– जनता कफ्र्यु का यह आदेश सम्पूर्ण जिले में प्रभावशील होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में उपार्जन कार्य कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए किया जावे। सम्पूर्ण ग्रामीण, सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र एवं नगर निगम इन्दौर क्षेत्र में उक्त सख्त जनता कफ्र्यु प्रभावी रहेगा।

13– सभी ट्रांसपोर्ट नगर के संचालक, वेअरहाउस, सी एण्ड एफ एवं उद्योग संचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अत्यावश्यक कर्मचारी के पास उनके द्वारा जारी पहचान–पत्र मय वाहन नंबर रहे ताकि पुलिस उनकी पहचान की पुष्टि कर सकें।

14– सभी शराब दुकानें बंद रहेगी।

15– नागरिक यह सुनिश्चित करें कि किराना एवं फल–सब्जी उनके क्षेत्र की दुकानों से ही खरीदें।

16– हाईवे के सभी पेट्रोल पंप संचालित हो सकेंगे किन्तु शहर के चिन्हित पेट्रोल पंप ही संचालित हो सकेंगे।

17– एम्बुलैंस, फायर बिग्रेड, टेली–कम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस सेवायें इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे।

18– कोविड टीकाकरण के समस्त केन्द्र संचालित हो सकेंगे एवं टीकाकरण हेतु जा रहे 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति उनके निवास स्थान के पास वाले वार्ड के टीकाकरण केन्द्र तक जा सकेंगे।

19– अखबार वितरण, मीडीयाकर्मी, बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, एअरपोर्ट से आने जाने वाले नागरिक भी आ–जा सकेंगे।

20– अन्य प्रदेशों से/जिलों से भारी माल वाहक वाहनों का आवागमन हो सकेगा।

21– ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी–जनपद पंचायत एवं पंचायत सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग घरों में ही रहें तथा गांव से बाहर न निकले। दैनिक सामग्री हेतु प्रत्येक पंचायत सचिव दो–चार लोगों की टोली तैयार करेगा जो आवश्यकता हो तो कहीं से दैनिक सामग्री ला सकेंगे।

चूंकि यह आदेश जन साधारण की सूविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है । इतना समय उपलब्ध नहीं है, कि जन सामान्य व सभी संबंधित पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें । अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेगा ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेंगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।

यह आदेश दिनांक 20/4/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया ।

(मनीष सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला इन्दौर

पृ०क्र०/2097/री0ए0डी0एम0/2021 इन्दौर, दिनांक 20–4–2021

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2– आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
3– पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
4– उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
5– आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर
6– समस्त अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी/अपर कलेक्टर, इन्दौर
7– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला इन्दौर.
8– समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, इन्दौर
9– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इन्दौर ।
10– एस0डी0ओ0(पी) नगर पुलिस अधीक्षक (समस्त), ..., इन्दौर
11– उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय/जिला विशेष शाखा, इन्दौर
12– थाना प्रभारी, थाना..जिला इन्दौर की ओर पालनार्थ ।
13– उप संचालक, जन संपर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाषन हेतु अग्रेषित।
14– प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी., कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रषासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15– प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, DISTRICT INDORE (M.P.)

No./2096/R.A.D.M./2021

Indore, Dated:20.04.2021

//ORDER//

(UNDER SECTION 144 OF Cr.P.C., 1973)

SUBJECT: IMPORTANT GUIDELINES FOR PREVENTION AND PROTECTION AGAINST CORONA VIRUS

(EFFECTIVE FROM DATED 20TH APRIL, 2021)

That at present, while considering the speed of Corona Transmission and positivity rate, the Corona Curfew was imposed in view of the previous orders. In this regard, some of the activities were kept free from restrictions, but it has been seen that the same are being misused and the general public is roaming outside without any relevant reason and is not following the Covid protocol. The general public at large was also called to follow Janta Curfew till 30th April, 2021 and it was also requested that the people remain inside their houses and do not go outside. While seeing the misuse of the relaxations given during restrictions, the order is being issued under Section 144 of the Code of Criminal

Procedure, 1973 and its compliance with strictness is to be ensured with immediate effect. As per the rules, this Order will be implemented in entire District of Indore: -

1. That the police should do checking on the roads of Indore City with utter strictness and the persons roaming around without any relevant reason, shall be sent behind the bars on temporary basis under Section 151 of the Code of Criminal Procedure.

2. Also while considering the present situation, the Government/Semi-Government Offices will remain closed with immediate effect during the Janta Curfew and only the offices of essential services will remain open.

3. That it is being ordered that all kinds of offices of the Chartered Accountant and Tax Consultant will also remain closed till 30th April during the Janta Curfew.

4. That employees of all kinds of I.T. Companies will do their work on the basis of "Work From Home" and all the offices of B.P.O./Mobile Companies will remain closed and can run with the manpower of 10 percent employees.

5. That all kinds of public transport within the city are closed with immediate effect and all kinds of Auto, E-Rickshaw, Taxi and other public transport etc. will remain closed till 30th April, 2021 within the entire Civic Bodies within Indore District. All these kinds of vehicle can be used for transportation of patients, but not for any other purpose whatsoever.

6. That in the previous Orders, the strict restriction was imposed on Haat-Bazar on the roadside, but it has been violated and vegetable carts and Haat-Bazar are being running on various places, which are proving obstruction for breaking the chain of Corona transmission. The Local

Magistrate/Police/Municipal Corporation are hereby directed to ensure initiating proceedings to remove such Haa-Bazar and if the said persons do protest, then they shall be arrested, as has been done earlier.

7. That the restriction is imposed on the comments made on Social Media platform related to breaking of Corona transmission chain in an unrestrained manner and if any such post will be forwarded/extended forward on social media, then the proceedings will be initiated for violation of The Epidemic Disease Act, 1897, National Disaster Management Act, 2005 and violation of this Order. If any person forwards the message to provoke the public, then police will register a case against the said persons. The Admin of various social media group are requested to remove the members spreading wrong message with immediate effect.

8. That the Police and Municipal Corporation will initiate strict action that Haat-Bazar will not be set up outside Chauitram Fruits-Vegetable Mandi in any situation because due to visiting of general public at these places, the problems are being faced for breaking the chain of transmission. In case of need, the persons protesting for the same, shall be sent to jail under Section 151 of the Code of Criminal Procedure.

9. That the ban is imposed on all kinds of construction activities and all kinds of construction activities will remain closed till 30th date. Any persons related with the same cannot come outside on the roads.

10. That all the employees concerned with the Industries, will go after taking I-Card from the Management of their Industry and Industry Managers are also

requested to call minimum manpower to continue their production. The Supervision of the Industry shall be done by calling 25 percent of the manpower or less than it, as much as possible, each Industry Manager should issue I-Card to each person involved in the production work, so that the police can verify them.

11. That on Provisional Stores, Ration-Control Shops, Running Cart of Fruits and Vegetables and Fruits and Vegetables shops will remain opened till 12 o'clock in the afternoon and the distribution of milk will be done from 6:00AM to 10:00AM in the morning and from 4:00PM to 7:00Pm in the evening.

12. This Order of Janta Curfew will remain effective in the entire District. Procurement work in the village areas will be done in compliance of Covid Protocol. The abovesaid Janta Curfew will remain implemented in entire

village, entire urban area and area under Municipal Corporation, Indore with utmost strictness.

13. That all the Managers of Transport Nagar, Warehouse, C and F and Industry Manager will ensure that their important employee should be issued an Identity Card with their vehicle number mentioned over it, so that the police can verify them.

14. All liquor shops will remain closed.

15. That the citizens should try that they shall purchase the grocery, fruits and vegetables from the shops situated nearest to their area.

16. That all the petrol pumps of highway will remain operational, but only the marked petrol pumps of the city will remain operational.

17. That Ambulance, Fire Brigade, Tele-Communication, Electricity Supply,

Kitchen Gas services will remain free from these restrictions.

18. That all the Covid Vaccination Centre will remain operational and the persons aged more than 45 years will be allowed to go to the vaccination ward situated nearest to their residence.

19. That the persons engaged in Newspaper distribution, medial workers and citizens can come and go to bus stand, railway station and airport.

20. That the movement of heavy goods vehicles from other States/Districts will be allowed.

21. That the Chief Executive Officer-Janpad Panchayt and Panchayat Secretary of village area will ensure that the persons in village areas should remain inside their house and should not go outside the village. Each Panchayat Secretary will form a team of two-four persons for the purpose of procuring

daily need items, so that in case of need, they can bring the daily need items.

As it has become very relevant to implement this Order with immediate effect, for the convenience of general public at large, so there is not much time to serve the abovesaid information personally to general public and concerned parties. Therefore, this Order is being passed ex-parte under Section 144(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973. Any person aggrieved with this Order, can submit an Application under Section 144(5) of the Code of Criminal Procedure, before the Court of the undersigned.

Under any important and special circumstances, the undersigned after being satisfied, can give such person relaxation in respect of any implemented condition.

This Order will remain implemented with immediate effect. The violation of the abovesaid Order, will be considered under the category of Section 188 of the India Penal Code.

This Order has been issued on 20.04.2021 under my signatures and seal of this court.

(Manish Singh)
Collector and District Magistrate
District Indore

Endorsement No./2097/R.A.D.M./2021
Copy to: -

1. Principal Secretary, Home Department Ministry, Vallabh Bhawan, Bhopal.
2. Commissioner, Indore Division, Indore.
3. Inspector General of Police, Indore.
4. Deputy Inspector General of Police, Indore.
5. Commissioner, Municipal Corporation, Indore.
6. All the Additional Magistrates/ Additional Collectors, Indore.
7. Chief Executive Officer, Jila Panchayat, Indore.

8. All the Sub Divisional Magistrates, Indore.
9. Chief Medical and Health Officer, Indore.
10. S.D.O.(P), City Police Superintendent (All).
11. Deputy Superintendent of Police, Headquarter/District Special Cell, Indore.
12. SHO, P.S. District Indore for information.
13. Forwarded to the Deputy Director, Public Information, Indore for publication of this Order.
14. Officer Incharge, N.I.C., Collectorate, Indore, for uploading it on the website of District Administration.
15. Officer Incharge, Police Control Room, Indore.

(Manish Singh)
Collector and District Magistrate
District Indore